

e-Mail

स्मार-पत्र

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं०सं०:- 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे-01/2022.....5915

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
किशनगंज।

बंदोबस्त पदाधिकारी,

बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद /
अररिया / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा /
मधेपुरा / प० चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा /
शिवहर / बांका / अरवल / कटिहार / शेखपुरा।

पटना, दिनांक :- 20/07/2023

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेख (खतियान), अंचल अधिकारी/समाहर्ता को भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय पत्रांक-1961 दिनांक-04.08.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया स्मरण करना चाहेंगे, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहे अधिकार अभिलेख के विरुद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन उपरान्त तथा अग्रेतर प्रक्रम हेतु तैयार किए गए खतियान के संबंध में यथावांछित निदेश पूर्व में निर्गत किए गए हैं, परंतु उक्त निर्गत निदेश के आलोक में तैयार खतियान का अंचल एवं समाहरणालय प्रति भेजे जाने संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान/अधिकार अभिलेख को निर्धारित अवधि के पश्चात् शीघ्र मुद्रित एवं सॉफ्ट प्रति अंचल अधिकारी एवं समाहर्ता को उपलब्ध कराते हुए तत्संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन



सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे-01/2022.....5915.....पटना, दिनांक: 20/07/2023

प्रतिलिपि:- सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे-01/2022.....5915.....पटना, दिनांक: 20/07/2023
प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे-01/2022.....5915.....पटना, दिनांक: 20/07/2023
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय
को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (4) विशेष सर्वे-01/2022.....5915.....पटना, दिनांक: 20/07/2023
प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

सं०सं०:- 03/प्र० अ० नि० (4) विशेष तर्ज- 01/2022 1961

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद /
अररिया / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा /
मधेपुरा / प० चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा /
शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा।
समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
कटिहार / किशनगंज।

पटना, दिनांक :- 4/8/2022

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेख (खतियान), अंचल अधिकारी / समाहर्ता को भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-11 एवं नियमावली, 2012 के नियम-15 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख (खतियान) आपके जिले में अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और नियमावली के नियम-15 उप नियम-3 अंतर्गत 90 दिनों के अंदर प्रकाशित अधिकार अभिलेख के विरुद्ध दावा/आपत्ति प्राप्त कर उप नियम-7 के प्रावधान के अनुसार 90 दिनों में निपटारा कर लिया जाए। ज्ञातव्य हो कि नियमावली के नियम-14 उप नियम-6 के अनुसार संबंधित राजस्व ग्राम का अधिकार अभिलेख (खतियान) की प्रति, अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी एवं मालिकी फर्द संबंधित जिले के समाहर्ता को उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया है ताकि राजस्व संबंधी कार्य यथा दाखिल खारिज, लगान वसूली, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अन्य कार्य किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उक्त अवधि के पश्चात् शीघ्र संबंधित राजस्व ग्राम का अधिकार अभिलेख (खतियान) की मुद्रित एवं सॉफ्ट प्रति अंचल अधिकारी एवं समाहर्ता को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।